Government of Haryana
Environment, Forests and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector-17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन बल प्रमुख)
हरियाणा पचंकुला।

यादी क्रमांक 635–व–5–2024/1294
चण्डीगढ दिनांक 23-02-2024

Subject:- Diversion of 0.5118 ha of forest land for passage to Gram Panchyat Devdhar to Belgarh Tehsil Chhachhrauli, under forest Division and District Yamunanagar. (Online Proposal No.FP/HR/ROAD/40068/2019).

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 2925 दिनांक 20.02.2024.

प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.5118 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति (**स्टेज–II**)निम्नलिखित शर्तों अनुसार प्रदान की जाती है :–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
(ii) प्रस्तावित कार्य के लिए किसी भी पेड़/पौधा शामिल नहीं है।
(iii) परियोजना के कार्य पूरा होने के बाद सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को उपयुक्त रुप से पुनः प्राप्त किया जाना होगा।
(iv) प्रयोक्ता एजैन्सी वन/पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई उपलब्ध करवाई गई।
(v) उपयोक्ता एजैंसी किसी भी रखरखाव के लिए स्थानीय वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
(vi) परियोजना में पेड़ों की कटाई के मामले में, हटाने के लिए चिह्नित प्रत्येक पेड के लिए स्थानीय वन विभाग के परामर्श से उपयोक्ता एजैन्सी की लागत पर दस पेड़ लगाए जाएंगे।
(vii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा।
(viii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहींकिया जाएगा।
(ix) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।
(x) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
(xi) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
(xii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।
(xiii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
(xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
(xvi) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
(xvii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

(xviii) खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जे0सी0बी0 का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(xix) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xx) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।

(xxi) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xxii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढाई जायेगी तो उस बढी हुई एन0पी0वी0 की राशि को कैम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी बाध्य होगी।

(xxiii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 7,22,08,88 जमा 2,20,617 रुपये की राशि से Devdhar PF/Wildlife Sanctuary की ओर 1024 पौधे लगाकर किया जायेगा।

(xxiv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(xxv) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज न0 24–25, सैक्टर–31 ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर।